न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन (प्रथम) बीकानेर मु0 कोलायत
पीठासीन अधिकारी :– शारदा चौधरी, आर.ए.एस.

वाद संख्या :– 66/2024

शशीप्रभा रामावत उर्फ मघी पुत्री जमनादास रामावत पत्नि सीताराम जाति साध निवासी गली नं0 9 रामपुरा बस्ती लालगढ तहसील व जिला बीकानेर

-----वादिनी

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार उपनिवेशन गजनेर मु. कोलायत —प्रतिवादी

दावा अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री रणजीत सिंह निर्वाण वकील वादिनी
2. राजपैरोकार उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत

— : निर्णय :—

दिनांक :— 20 मार्च 2025

1. वादिनी के नाम से वाके रोही ग्राम जयमलसर के खेत खसरा नंबर 54/2/05 में 12 बीघा खातेदारी कृषि भूमि चली आ रही है। वादीनी का घर का नाम मघी था इस कारण रिकार्ड राजस्व में वादीनी का नाम मघी पुत्री जमनादास कर दिया गया जबकि वादीनी का रिकार्ड व अन्य दस्तावेजों जैसे मार्कशीट, आधारकार्ड, आयकरकार्ड आदि दस्तावेजों में वादीनी का वास्तविक नाम शशीप्रभा है।
2. वादीनी का नाम राजस्व रिकार्ड में मघी पुत्री जमनादास दर्ज हो गया है जिसमें वादीनी दुरूस्ती करवाकर शशीप्रभा रामावत पुत्री जमनादास पत्नि सीताराम जाति रामावत निवासी गली नं0 9 रामपुरा बस्ती लालगढ बीकानेर करवाना चाहती है।
3. सर्वप्रथम वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया।
4. वादीनी ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया कि वादीनी को अधीनस्थ तहसील द्वारा चाहा गया संशोधन एवं रीलीफ प्राप्त हो गया है जिस कारण वाद को विड्रॉ करना चाहती है।
5. वाद पत्र, वाद पत्र में उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत के अनुसार वादीनी का नाम शुद्धिकरण न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर मु0 कोलायत के आदेश कमांक/आ0का0/2024/1189 दिनांक 19.06.2024 से किया जा चुका है जिसका अभिलेख में अंकन हो चुका है। अतः अब वाद में कोई भी कार्यवाही शेष नहीं रहती है। वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली तद्नुसार फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.03.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(शारदा चौधरी)
आर.ए.एस.
सहायक आयुक्त उपनिवेशन
(प्रथम), बीकानेर मु0 कोलायत